

न्यायालय, आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा।

ज्ञापांक 3037/विधि

सहरसा, दिनांक 12-10-2023

- प्रतिलिपि:- समाहर्ता / जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मधेपुरा को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा आबिट्रिशन वाद सं०-67/2021 में दिनांक-10.10.2023 को पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है।
- प्रतिलिपि:- परियोजना निदेशक, एन०एच०ए०आई०, बेगूसराय द्वारा अधिवक्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- श्री रामकृष्ण यादव, पिता-स्व० योगी प्रसाद यादव उर्फ भवी यादव/रामेशवर यादव, पिता-स्व० गुलट प्रसाद यादव, सा०-सभी सा०-भिरखी, वार्ड नं०-03 अन्दर नगर परिषद, मधेपुरा, पो०+थाना+जिला-मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- ✓ आई०टी० असिस्टेंट, कोशी प्रमंडल, सहरसा को आदेश की प्रति संलग्न करते हुए प्रमंडलीय वेबसाईट पर अपलोड कर वापस करने हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी, (विधि)
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

आदेश पत्रक - ता०.....से.....तक

जिला....., सं०....., सन् १९.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३
---------------------------------	-------------------------------------	---

आयुक्त न्यायालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा

आबिट्रिशन वाद संख्या:-67/2022

रामकृष्ण यादव व अन्य.....आवेदनकर्ता

-बनाम-

राज्य.....रेसपॉण्डेन्ट

--: आदेश :-

प्रस्तुत वाद रामकृष्ण यादव, पिता-स्व० योगी प्रसाद यादव उर्फ भवी यादव व रामेश्वर यादव पिता-स्व० बिलट प्रसाद यादव दोनों सा०-भिरखी, वार्ड नं०-23 अन्दर नगर परिषद, मधेपुरा के द्वारा राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-107 (महेशखुट-सोनवर्षा राज-सहरसा-मधेपुरा-पूर्णिवाँ (खण्ड तक) सड़क के लिए उनकी निम्न वर्णित भूमि अर्जित किये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकार-सह-जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मधेपुरा के नोटिस सं०-297/भू०अ० दिनांक 15.08.2021 से संसूचित प्रतिकर की राशि के विरुद्ध दायर किया गया है।

वादगत भूमि तथा निर्धारित मुआवजा का विवरण निम्नवत है :-

मौजा/याना नं०	आता सं०	असरा सं०	भूमि की प्रकृति	रकबा (एकड़ में)	राशि	अभ्युक्ति
अमानत उत्तरवाड़ी /68	26	245, 246, 376	कृषि	0.3064102	31,51,664/-	

आवेदक की ओर से दाखिल लिखित वादपत्र एवं बहस में भाग लेते हुए उनके विज्ञ अधिवक्ता का मूल रूप से कहना है कि प्रश्नगत भूमि अधिग्रहण के समय के पूर्व से ही नगर परिषद क्षेत्र, मधेपुरा के वार्ड नं०-22 के अन्तर्गत आती है। जिसे शहरी क्षेत्र में होने के बावजूद गलत वो भूलवश अधिग्रहण के समय ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर दर निर्धारित कर दिया गया। जिसके विरुद्ध आवेदकों के द्वारा समाहर्ता, मधेपुरा को आपत्ति दर्ज करायी गई किन्तु समाहर्ता, मधेपुरा तथा अन्य पदाधिकारी ने गजट प्रकाशन पश्चात दर निर्धारण में भूल

होना स्वीकार किया, किन्तु भूल सुधार का क्षेत्राधिकार जिला स्तरीय पदाधिकारी के पास नहीं होने के कारण यह वाद इस स्तर पर दायर किया गया। आवेदकों का कहना है कि शहरी क्षेत्र व्यावसायिक भूमि का मूल्य जिला में 3,50,000/- प्रति डिसमिल पूर्व से है किन्तु गजट प्रकाशन में प्रश्नगत भूमि का ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर प्रतिकर निर्धारित कर दिया गया है। आवेदकों के द्वारा प्रश्नगत भूमि को ग्रामीण क्षेत्र की भूमि के रूप में प्रकाशित कर दिये जाने के कारण गजट संशोधन करते हुए नगर परिषद क्षेत्र, मधेपुरा स्थित भूमि का मुआवजा शहरी क्षेत्र के आधार पर भुगतान करने हेतु आदेश देने का अनुरोध किया गया है।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मधेपुरा के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि नगर परिषद, मधेपुरा के वार्ड नं०-22 के अन्तर्गत आता है। प्रश्नगत मौजा की भूमि का दर निर्धारण ग्रामीण क्षेत्र के बिक्री आंकड़ा के आधार पर किया गया है। उनके द्वारा प्रतिवेदित है कि आवेदकों को मुआवजा राशि भूमि के मूल्य का 4 गुणा एवं क्षतिपूर्ति राशि के साथ भुगतान किया गया है।

भारतीय राष्ट्रीय उच्च पथ प्राधिकरण की ओर से दाखिल जवाब में उनके विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि आवेदक के द्वारा अपने आवेदन में प्रतिकर की राशि के निर्धारण अथवा किस्म निर्धारण के विरुद्ध कोई आधार/साक्ष्य नहीं दिया गया है, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि वे किस प्रकार के अनुतोष की मांग कर रहे हैं। इस कारण इस आवेदन पर NHAI Act-1956 के तहत आर्बिट्रेशन आवेदन के रूप में विचार नहीं किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि प्रश्नगत भूमि की प्रकृति छः सदस्यीय समिति के स्थल निरीक्षण के उपरान्त उनके प्रतिवेदनानुसार दिनांक 17.06.2015 को 3A अधिसूचना में कृषि प्रकाशित की गई। उक्त अधिसूचना के प्रकाशन के उपरान्त आवेदकों के द्वारा किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं की गई, न ही इस आशय का साक्ष्य आवेदकों के द्वारा आवेदन के साथ संलग्न नहीं किया गया है। तत्पश्चात छः सदस्यीय दर निर्धारण समिति के द्वारा दिनांक 10.10.2016 को अधिग्रहित भूमि के लिए प्रकाशित किस्म के अनुसार स्थल निरीक्षणोपरान्त दर का निर्धारण किया गया। तदनुसार सक्षम प्राधिकार द्वारा नियमानुसार गणना कर प्रतिकर निर्धारित कर केन्द्र सरकार को भेजा गया। तदोपरान्त केन्द्र सरकार द्वारा 3D अधिसूचना

दिनांक 09.06.2016 को प्रकाशित की गई। 3D सूचना प्रकाशित किये जाने के उपरान्त प्रश्नगत भूमि के संबंध में आपत्ति पर विचार नहीं किया जा सकता है। उनका कहना है कि अधिग्रहण के समय प्रश्नगत भूमि पूर्णतः “कृषि” भूमि थी, जिस कारण भूमि का किस्म “कृषि” के आधार पर प्रतिकर का निर्धारण किया गया है। उक्त के आलोक में उनके द्वारा आवेदक का दावा निराधार होने के कारण इस वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

सरकारी अधिवक्ता के द्वारा प्रश्नगत भूमि के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में आवेदकों के द्वारा दायर C.W.J.No.-15642/2018 में दिनांक 14.09.2018 को पारित आदेश के आलोक में न्यायालय समाहर्ता, मधेपुरा के द्वारा सुनवाई के उपरान्त पारित आदेश की प्रति समर्पित करते हुए बताया गया कि समाहर्ता, मधेपुरा के द्वारा प्रश्नगत भूमि को विकासशील श्रेणी में परिवर्तित करने का आदेश पारित किया गया है तथा व्यवसायिक श्रेणी के दावे को खारिज कर दिया गया है।

सभी पक्ष को सुनने, अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों/दस्तावेजों के अवलोकनोपरान्त यह स्पष्ट है कि RFCTLARR ACT-2013 की धारा-23 के अनुसार जिला स्तरीय छः सदस्यीय समिति द्वारा मौजा-अमानत उत्तरवाड़ी पेरिफेरल क्षेत्र के स्थलीय जाँचोपरान्त कृषि भूमि की श्रेणी के रूप में प्रवृत्त भूमि को कृषि के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसके आधार पर सक्षम प्राधिकार जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा मुआवजा का निर्धारण कर भुगतान किया गया। साथ ही उक्त भूमि का वर्तमान स्वरूप लगभग वैसा ही है तथा यह भूमि अधिग्रहण के समय कृषि के रूप में उपयोग में लाया जा रहा था। किन्तु प्रश्नगत भूमि नगर परिषद के अन्तर्गत है। इस क्षेत्र में विकास की संभावना (Potential) है। इस मामले में समाहर्ता, मधेपुरा के आदेश डी0बी0 नं0-576 दिनांक 15.07.2023 के द्वारा प्रश्नगत भूमि को विकासशील श्रेणी में परिवर्तित करने का आदेश दिया गया है तथा व्यवसायिक श्रेणी के दावा को खारिज किया गया है, जो नियमानुसार सही है। अतः समाहर्ता, मधेपुरा के द्वारा भूमि की प्रकृति विकासशील निर्धारित करते हुए मुआवजे का भुगतान करने का निदेश दिया जा चुका है, जिसे पुनरीक्षित करने का कोई आधार एवं औचित्य नहीं है। आवेदक के द्वारा कोई अन्य तथ्य अथवा साक्ष्य समर्पित नहीं

किया गया है, जिससे यह स्थापित हो सके कि प्रश्नगत भूमि का किस्म आवासीय/व्यवसायिक है। इसी के साथ आवेदक के दावे को स्वीकार करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति सभी संबंधितों को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त

कोशी प्रमंडल, सहरसा।

आयुक्त

कोशी प्रमंडल, सहरसा।

